



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 पौष 1947 (श०)

(सं० पटना 1813) पटना, सोमवार, 29 दिसम्बर 2025

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

29 दिसम्बर 2025

सं०-सं०का-01 / वि०मं०(महानुभाव)-08-03 / 2021-936—बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्रांक-2439, 2440 तथा पत्रांक-2441, दिनांक-16.12.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार ने विधान सभा में निम्नांकित सूची में अंकित महानुभावों को सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक एवं सचेतक के रूप में दिनांक-15.12.2025 के प्रभाव से मनोनीत किया है। उक्त मनोनयन को माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है।

क्रम सं०	माननीय सदस्यों के नाम/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं नाम	पदनाम	प्राप्त सुविधा	प्रभाव की तिथि
1	श्री श्रवण कुमार, सं०वि०स०, क्षेत्र सं०-176 (नालंदा)	मुख्य सचेतक	मंत्री	15.12.2025
2.	श्री विनोद नारायण झा, सं०वि०स०, क्षेत्र सं०-32 (बेनीपट्टी)	उप मुख्य सचेतक	राज्य मंत्री	15.12.2025
3.	श्री कृष्ण कुमार ऋषि, सं०वि०स०, क्षेत्र सं०-59, बनमनखी (अ०जा०)	सचेतक	राज्य मंत्री	15.12.2025
4.	श्री मंजीत कुमार सिंह, सं०वि०स०, क्षेत्र सं०-100, बरौली,	सचेतक	राज्य मंत्री	15.12.2025
5.	श्री राजू तिवारी, सं०वि०स०, क्षेत्र सं०-14, गोविन्दगंज,	सचेतक	राज्य मंत्री	15.12.2025
6.	श्री सुधांशु शेखर, सं०वि०स०, क्षेत्र सं०-31, हरलाखी,	सचेतक	राज्य मंत्री	15.12.2025
7.	श्री कुमार शैलेन्द्र, सं०वि०स०, क्षेत्र सं०-152, बिहपुर,	सचेतक	राज्य मंत्री	15.12.2025
8.	श्री रामविलास कामत, सं०वि०स०, क्षेत्र सं०-42, पिपरा,	सचेतक	राज्य मंत्री	15.12.2025
9.	श्री अरुण माँझी, सं०वि०स०, क्षेत्र सं०-189, मसौढ़ी (अ०जा०)	सचेतक	राज्य मंत्री	15.12.2025
10.	श्रीमती गायत्री देवी, सं०वि०स०, क्षेत्र सं०-25, परिहार,	सचेतक	राज्य मंत्री	15.12.2025

2. चूंकि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं०-1357, दिनांक-21.11.2025 द्वारा श्री श्रवण कुमार को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद् का सदस्य नियुक्त करते हुए ग्रामीण विकास विभाग तथा परिवहन विभाग का कार्य आवंटित किया गया है एवं उन्हें बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 (अद्यतन संशोधित) द्वारा वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें (निजी कर्मचारियों की सुविधा सहित) अनुमान्य हो गयी हैं। अतः उन्हें बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक एवं सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम-3 के आलोक में मुख्य सचेतक मनोनीत होने के कारण मंत्री के समान सुविधायें देय नहीं होंगी।

3. बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 (अद्यतन संशोधित) के नियम-3 द्वारा उप मुख्य सचेतक/सचेतक को उनके नाम के सामने अंकित राज्य मंत्री के समान सुविधायें दिनांक-15.12.2025 के प्रभाव से देय होंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनीष कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1813-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>